



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3807]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 2018/आश्विन 4, 1940

No. 3807]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 2018/ASVINA 4, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2018

का.आ. 4985(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु तमिलनाडु, राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड 'तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (क) स्वीकृति फीस;
- (ख) विश्लेषण फीस या वायुपरिवेशी गुणवत्ता सर्वे फीस या ध्वनि स्तर सर्वे फीस;
- (ग) राष्ट्रीय वायु मॉनीटरिंग कार्यक्रमों, वैश्विक पर्यावरण मॉनीटरिंग सिस्टम और भारतीय राष्ट्रीय जलचर (एकैटिक) संसाधनों और सदृश योजनाओं की ओर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति;
- (घ) प्राधिकृत फीस (बायो मेडिकल अपव्यय प्रबन्धन फीस);
- (ङ) उपकर प्रतिपूर्ति और उपकर अपील फीस;
- (च) बोर्ड के पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण के लिए एकत्रित फीस जहां कोई भी लाभांश शामिल नहीं है और कार्यकलाप प्रकृति में वाणिज्यिक नहीं हैं;
- (छ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के तहत प्राप्त फीस;

- (ज) जन सुनवाई फीस;
- (झ) कानून पुस्तकों की बिक्री जहां कोई लाभांश शामिल नहीं है और कार्यकलाप प्रकृति में वाणिज्यिक नहीं हैं;
- (ञ) बोर्ड के स्टाफ को दिए गए ऋणों और अग्रिम पर ब्याज;
- (ट) विविध आय जैसे पुराने या स्केप मदों की बिक्री, टेन्डर फीस; और तत्संबंधी अन्य मामले; और
- (ठ) जमाओं पर ब्याज

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यक्षीन प्रभावी होगी कि तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चेन्नै:-

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा-4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्षों 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 58 /2018 फा. सं. 300196/45/2018-आईटीए-1]

विनयशील गौतम, अवर सचिव